30.6.17

पत्रावली ग्राम राजस्व कोर्ट केस में पेश हुई उभय पक्षकारान उपस्थित। उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान की सहमति से जांच रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम शेरपुरा के मूल खसरा 854/658 का विभाजन समस्त खातेदारान द्वारा धारा 53 के तहत आपसी सहमति करवाया था। उक्त विभाजन के साथ ही रास्ता प्रयोजनार्थ 1.14 बीघा भूमि समस्त खातेदारान की ~~आम~~ शामलात भूमि रखी थी जिसका नया खसरा 1092/658 रकबा 1.14 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अतः उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश ~~सेड्वा~~ सेड्वा दिये जावे। तहसीलदार ~~सेड्वा~~ द्वारा पेश रिपोर्ट स्वीकार कर ग्राम शेरपुरा (बामड़ला) के खसरा न 1092/658 रकबा 1.14 की जमाबंदी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है। उपरोक्त अनुसार रेकर्ड में अमलदरामद करने का तहसीलदार सेड्वा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौमूहा

पहचानकर्ता